भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4450 का उत्तर

रेलवे खानपान नीति, 2017

4450. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे खानपान नीति, 2017 के अनुसार रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें निर्धारित करने हेतु प्राधिकार प्राप्त सक्षम विभाग/अधिकारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2017 से आज की तिथि तक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जारी की गई नई दर सूची का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्लेटफार्म स्टॉलों से बेची जाने वाली चाय और कॉफी के लिए निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है और साथ ही दिल्ली सहित देश के स्टेशनों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को रेलवे द्वारा समझौते में शामिल वस्तुओं की दरों को उत्तर रेलवे द्वारा जारी सूची में शामिल करने की मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(च) खानपान नीति 2005 और 2010 के अंतर्गत निविदा के माध्यम से आबंटित स्टॉलों की संख्या कितनी है और ऐसे स्टॉलों की संख्या कितनी है जो अभी भी चल रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): खानपान नीति 2017 के अनुसार, रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्धारित शुल्क के तहत क्षेत्रीय व्यंजनों सहित नियंत्रित वर्ग की मदों की व्यंजन सूची लघु स्थैतिक खानपान

इकाइयों पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा तय की जाती है। स्थैतिक खानपान इकाइयों के माध्यम से परोसी जाने वाली ए-ला-कार्टे वस्तुओं की व्यंजन सूची और शुल्क क्षेत्रीय रेलों द्वारा तय किया जाता है।

दिल्ली सहित देश के सभी स्टेशनों के प्लेटफार्म स्टॉलों पर बेची जाने वाली चाय/कॉफी की दरें वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 53/2018 के तहत तय की गई थीं। अन्य मानक वस्तुओं की दरें वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 64/2019 के तहत तय की गई थीं। ये परिपत्र भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

खानपान नीति 2017 के बाद से अब तक क्षेत्रीय रेलों द्वारा किए गए अन्य ए-ला-कार्टे वस्तुओं की दरों में संशोधन का विवरण निम्नानुसार है।

जोन	2017 के बाद से अब तक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा ए-ला-कार्टे वस्तुओं की दरों में संशोधन की तिथि(यां)
मध्य रेलवे	10.07.2021
पूर्व मध्य रेलवे	02.08.2024
पूर्व रेलवे	05.08.2025
उत्तर मध्य रेलवे	08.04.2025
पूर्वोत्तर रेलवे	27.07.2023
उत्तर रेलवे	01.06.2025
उत्तर पश्चिम रेलवे	01.08.2025
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	01.07.2019
दक्षिण पूर्व रेलवे	09.10.2024
दक्षिण मध्य रेलवे	26.07.2022
दक्षिण रेलवे	24.12.2019, 24.02.2023, 01.06.2023

दक्षिण पश्चिम रेलवे	02.01.2023
पश्चिम मध्य रेलवे	12.12.2022
पश्चिम रेलवे	27.06.2025

इसके अतिरिक्त, उत्तर रेलवे को करार में शामिल मदों की दरों को शामिल करने की मांग के साथ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इसकी गुण-दोष के आधार पर जांच की जा रही है।

खानपान नीति 2005 और खान-पान नीति 2010 के अंतर्गत कुल 1451 खान-पान स्टॉलों को आवंटित किया गया है। 12.08.2025 तक, सभी स्टेशनों पर कुल 8912 लघु स्थैतिक खान-पान इकाइयां संचालित हैं।

****